

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रिबिया

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

ओमप्रकाश खील

बनाम

राजस्वामि सरकारदावा बाबत गात्र डकूस्ती दावा U/S 88 R.T.A.मुकदमा नम्बर :- 113/2021निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से इत्यं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावावादी स्वीकार किया जाकर रोही गात्र रिबिया खेत खाता सं. 9A में वर्तमान ओमप्रकाश पुत्र परसारा के स्वाम पर ओम प्रकाश खील पुत्र परसारा वर्तमान का आवेदन दिया जाता है। तहसीलदार चूरु उक्तानुसार राजस्व रिबिड में अमल इशामद करें

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रा
23/11/21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस
रुपया	रुपया
जोड़	जोड़



जा-स.
1312
23-11-21